



सत्यमेव जयते

(☎022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476
&22824354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं. No. 7/34/2012/आईआरएंडडब्ल्यू IR&W(Vol.II)/ 11644

अगस्त/August 31, 2016

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : 01 अगस्त, 2016 से सीएचएसएस अंशदान के लिए वसूली की दर
Sub : Rate of recovery towards CHSS contribution with effect
from 1st August 2016


केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 को अधिसूचित करते हुए, दिनांक 25/07/2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 721(ई) के जारी होने के फलस्वरूप विभाग के दिनांक 04/11/2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/14/98-सीएचएसएस/आईआरएण्डडब्ल्यू/168 के अधिक्रमण में सीएचएसएस हेतु अंशदान की दर निम्नलिखित होगी :

Consequent on the issue of Notification No. G.S.R. 721(E) dated 25/07/2016, notifying the CCS(Revised Pay) Rules, 2016, the rate of contribution towards CHSS, in supersession of the Department's Office Memorandum No. 7/14/98-CHSS/IR&W/168 dated 04/11/2008, shall be as under :

लाभार्थियों की श्रेणी Category of Beneficiaries	अंशदान की दर Rate of Contribution
a) आईसी के सदस्यों तथा उनके परिवारों के लिए Members of AEC and their families	₹2,250/-p.m.
b) विजिटिंग वैज्ञानिक/अध्येता/प्रोफेसर तथा उनके परिवारों के लिए Visiting Scientist/Fellows/ Professors and their families	
c) कर्मचारी तथा उनके परिवारों के लिए Employees and their families	मूल वेतन का 1% 1% of the Basic Pay
d) सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए All Trainees	वृत्तिका/छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्तिका का 1% 1% of the Stipend/Scholarship/ Fellowship

उपर्युक्त दरें 01 अगस्त, 2016 से लागू होंगी। तदनुसार, इस योजना का पैरा 13.2 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित होगा।

The above rates will be applicable from 1st August 2016. Accordingly, para 13.2 of the scheme shall stand modified to the above extent.


(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी

All CHSS Administering Authorities :

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

- (1) इकाइयोंकेसभीप्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयोंकेसभीप्रशासनिकप्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC & Secretary, DAE
- (4) संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि के प्रधान निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसीAO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE